विचार संगम

भारतीय दर्शन, विज्ञान, साहित्य-कला और तकनीकी के विशेष संदर्भ में

सम्पादक
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

विचार संगम

भारतीय दर्शन, विज्ञान, साहित्य-कला और तकनीकी के विशेष संदर्भ में

सम्पादक :

डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

Ph.D., D.Lit. (Sub.)

निदेशक, कॉम्पिटिशन प्लस ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन,

अजमेर

Books n Books

51/1509, आचमन, वेदविहार,

लोहाखान, अजमेर-305001

प्रकाशक :

पुष्पा शर्मा

Books n Books

51/1509, आचमन, वेदविहार,

लोहाखान, अजमेर-305001

ई-मेल : bnbajmer@gmail.com

संस्करण

प्रथम 2025

ISBN : 978-81-993854-0-5

मूल्य - 400/-

रचना - विचार संगम-भारतीय दर्शन, विज्ञान, साहित्य-कला और तकनीकी के विशेष संदर्भ में

सम्पादक - डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

मुद्रक - श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स, अजमेर

28

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 और राजनीतिक मूल्य

कमलेश कुमार अटल
सह आचार्य (शिक्षा विभाग)
हुकुमचन्द नोबेल इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

प्रस्तावना

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के विकास की आधारशिला शिक्षा ही है। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं, बल्कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का प्रेरक तत्व है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक कितने शिक्षित, विवेकशील, नैतिक और रचनात्मक हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को सदा से अत्यंत पवित्र और जीवन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक शिक्षा का स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ परिवतिज़्त होते रहे हैं, परंतु इसका मूल तत्व व्यक्ति और समाज के उत्थान का साधन होना कभी नहीं बदला। स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीतियाँ इसी सतत् परंपरा को नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा देने का प्रयास रही हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) इसी कड़ी का आधुनिक रूप है, जो न केवल शैक्षिक सुधारों का दस्तावेज है, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

शिक्षा नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समग्र दिशा निर्धारित करने हेतु 1968 और 1986 में दो प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनीं। 1968 की नीति में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और राष्ट्रीय एकता को प्रमुखता दी गई थी। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रस्तुत नीति में महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया। 1992 में इसमें संशोधन भी हुआ। किंतु सूचना–प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण, और बदलते सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य ने शिक्षा प्रणाली को पुनः समीक्षा की आवश्यकता महसूस कराई। परिणामस्वरूप, लगभग 34

वर्ष बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं, तकनीकी प्रगति, और भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय का प्रतीक है।

नई शिक्षा नीति की मूल भावना

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, नवाचार और नैतिकता का विकास करना है। यह नीति 'समग्र विकास' की बात करती है, यानी छात्र केवल अंकों से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, कौशल, मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व से भी मापा जाएगा। इसमें शिक्षा को केवल रोजगार का साधन न मानकर जीवन निर्माण और राष्ट्र निर्माण का उपकरण माना गया है। इसका मूल मंत्र है — 'शिक्षा ज्ञान नहीं, जागरण है।' नीति का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को भारतीयता से जोड़ना है ताकि विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पधाज़ कर सके।

शिक्षा की नई संरचना (5+3+3+4 मॉडल)

पूर्ववर्ती 10+2 प्रणाली को समाप्त कर नीति में 5+3+3+4 का नया ढाँचा लागू किया गया। पहले पाँच वर्ष — प्री-प्राइमरी और कक्षा 1-2 को फाउंडेशन स्टेज माना गया है, जिसका उद्देश्य बालकों में जिज्ञासा, सृजनशीलता और मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित करना है। इसके बाद तीन वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3-5) आता है, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान, कला आदि विषयों की बुनियादी शिक्षा दी जाती है। अगला तीन वर्ष का मिडिल स्टेज (कक्षा 6-8) तकनीकी व व्यावहारिक कौशलों से युक्त है जिसमें कोडिंग, उद्यमिता, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पर बल है। अंतिम चार वर्ष सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9-12) के हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकता है, जिससे उसकी स्वायत्तता और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिले। यह लचीला ढाँचा लोकतांत्रिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचायक है।

शिक्षा में मातृभाषा का स्थान

नई नीति में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। यह प्रावधान भारतीय संवैधानिक मूल्य 'सांस्कृतिक विविधता में एकता' का प्रतीक है। यह दृष्टिकोण गांधीजी और रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा-दर्शन से मेल खाता है, जिन्होंने शिक्षा को मातृभाषा में देने पर बल दिया था। यह निर्णय भारतीय भाषाओं के पुनर्जीवन, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और बौद्धिक स्वाधीनता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

शिक्षा और भारतीयता

नई शिक्षा नीति भारतीय परंपराओं, संस्कृति, दर्शन और मूल्यों को शिक्षा के केंद्र में रखती है। नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली 'भारत

की प्राचीन ज्ञान-संपदा और आधुनिक विज्ञान का संगम' होगी। वैदिक गणित, आयुर्वेद, योग, दर्शन, और भारतीय नीतिशास्त्र को शिक्षा के हिस्से के रूप में देखने की पहल इसी दिशा में है। यह नीति यह भी स्वीकार करती है कि उपनिषदों, वेदों और शास्त्रों में निहित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है, बस उसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य

राजनीतिक दृष्टि से यह नीति भारतीय संविधान की मूल भावना — लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को शिक्षण की आधारशिला बनाती है। नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को केवल नागरिक नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनाने की बात कही गई है। इसमें शिक्षा को 'समावेशी' बनाया गया है। हर वर्ग, हर लिंग, हर भाषा और हर क्षेत्र के व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। यह 'शिक्षा के लोकतंत्रीकरण' का सशक्त उदाहरण है।

नीति में शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दी गई है ताकि निर्णय प्रक्रिया में केंद्रीकरण की जगह सहभागिता बढ़े। इससे प्रशासनिक लोकतंत्र को भी बल मिलता है। विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक 'स्कूल कॉम्प्लेक्स' और 'मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी' की अवधारणा इसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का परिचायक है।

शिक्षा और सामाजिक न्याय

राजनीतिक मूल्य के रूप में 'सामाजिक न्याय' भारतीय राज्य की आत्मा है। नई शिक्षा नीति में इसे केंद्र में रखा गया है। वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांग विद्यार्थियों और बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। समान अवसर, छात्रवृत्ति, और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से 'हर बच्चे तक शिक्षा' पहुँचाने का संकल्प इस नीति का नैतिक और राजनीतिक आधार है। यह नीति सामाजिक समरसता और समानता को शिक्षा के माध्यम से साकार करने का प्रयास करती है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का समावेश

राजनीतिक दृष्टि से तकनीकी आत्मनिर्भरता 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना से जुड़ी है। नीति में तकनीकी ज्ञान को मुख्य स्थान दिया गया है। डिजिटल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में ई-लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कोडिंग को जोड़ा गया है। इससे शिक्षा प्रणाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय युवाओं को सक्षम बनाती है और उन्हें विश्व मंच पर प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करती है।

उच्च शिक्षा में सुधार

उच्च शिक्षा में 'मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी' की अवधारणा लाई गई है, जिससे विद्यार्थी विज्ञान, कला, वाणिज्य और मानविकी के विषयों को एक साथ पढ़ सके। यह कठोर विषय विभाजन को समाप्त कर सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' का गठन अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह राष्ट्र के ज्ञान-आधारित अर्थतंत्र को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता, पारदर्शिता, और गुणवत्ता को राजनीतिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा गया है।

शिक्षा और राष्ट्रवाद

नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्य राष्ट्रवाद है, परंतु यह संकीर्ण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत है। यह नीति विद्यार्थियों में 'भारतीयता' के प्रति गर्व और राष्ट्रीय दायित्व की भावना उत्पन्न करना चाहती है। यह राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखती है। विद्यार्थियों में देशभक्ति, सेवा-भाव, और राष्ट्रहित की चेतना जाग्रत करने का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करना ही इसका सार है।

शिक्षा और नारी सशक्तिकरण

नीति में महिलाओं की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। यह समानता और लैंगिक न्याय जैसे राजनीतिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। नीति कहती है कि जब तक महिलाएँ शिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक वास्तविक लोकतंत्र संभव नहीं। अत: बालिकाओं के लिए शिक्षा में विशेष सुविधाएँ, छात्रवृत्तियाँ और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई हैं।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ

नई नीति को जहाँ एक ओर आधुनिक और दूरदर्शी बताया गया है, वहीं कुछ शिक्षाविदों ने इसमें कुछ चुनौतियों की ओर संकेत किया है — जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, डिजिटल असमानता, शिक्षकों का प्रशिक्षण, और निजीकरण का बढ़ता प्रभाव। कुछ आलोचक इसे शिक्षा के 'बाजारीकरण' की दिशा में एक कदम भी मानते हैं। परंतु समग्र दृष्टि से देखें तो यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में अग्रसर है।

शिक्षा नीति और भारतीय संविधान

यह नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 और 21(A) में उल्लिखित मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सशक्त करती है। साथ ही यह नीति संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता' के आदर्शों को

व्यावहारिक रूप देने का प्रयास है। यह केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र के राजनीतिक दर्शन को शैक्षणिक रूप में अभिव्यक्त करती है।

निष्कर्षत: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शैक्षिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह नीति भारतीयता, आधुनिकता, और वैश्विकता तीनों का संतुलित संगम प्रस्तुत करती है। इसका मूल उद्देश्य है — 'ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र का पुनर्निर्माण।' इस नीति से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण संभव है जो विद्यार्थियों को केवल रोजगार योग्य नहीं, बल्कि जीवनयोग्य बनाए। यह नीति न केवल शिक्षा का ढाँचा बदलती है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, लोकतंत्र, समानता, और नैतिकता जैसे राजनीतिक मूल्यों को समाज की जड़ों में स्थापित करती है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 केवल शिक्षा सुधार का नहीं, बल्कि भारत के पुनर्जागरण का दस्तावेज है।